भारत सरकार/Govt. of India
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति(कार्यालय)
Town Official Language Implementation Committee(Offices)
मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, रेलवे बोर्ड भवन, दि माल, शिमला
O/o The Chairman, TOLIC & Chief Commissioner of Income Tax, Railway Board Building, Shimla.

फा.सं.: मु.आ.आ./47/नराकास/बैठक/2016-17/4324 से 4404 दिनाँक: 01.12.2016

कार्यालय ज्ञापन :

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, शिमला की बैठक दिनांक 18.11.2016 को आयोजित की गई। बैठक के कार्यवृत्त सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को प्रेषित है :-

1. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य। अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर शीघ्र कार्रवाई करके इस कार्यालय को अनुपालन रिपोर्ट भेजें। कार्यवृत्त के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो कृपया 15 दिन के भीतर इस कार्यालय को भेजें।
2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-II(नई दिल्ली सिटी सेंटर) भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
3. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
4. निदेशक(कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-II(नई दिल्ली सिटी सेंटर) भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
5. उप-निदेशक(कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय(उत्तर क्षेत्र-1), दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, ए-149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।
6. उप-निदेशक(राजभाषा)(मुख्या.), आयकर निदेशालय(मु.प्र.ज.सं एवं राजभाषा), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजभाषा प्रभाग, छठी मंजिल, मयूर भवन, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली।
7. उप-निदेशक(राजभाषा), मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, कमरा नं. 210डी, विकास भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
8. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, सी.जी.ओ. कॉपलैक्स, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली।
9. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-II(नई दिल्ली सिटी सेंटर) भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
10. सभी अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां (उ. प. क्षेत्र)।

(डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक निदेशक(राजभाषा) एवं
सचिव, न.रा.का.स.
मोबाइल नं. 9530702020

शिमला नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 18.11.2016 को आयोजित बैठक के कार्यवृत

1. शिमला नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक **दिनांक 18.11.2016** को सांय 03:00 बजे बचत भवन के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। **बैठक की अध्यक्षता प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त एवं समिति अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार जी** ने की। बैठक में राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व श्री प्रमोद शर्मा, उप–निदेशक ने किया।

2. बैठक में **उपस्थित सदस्यों की हस्ताक्षरित सूची संलग्न है।**

3. सर्वप्रथम समिति **सचिव डॉ0 सुरेन्द्र शर्मा** ने समिति **अध्यक्ष, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, श्री राजेन्द्र कुमार, समिति के नए उपाध्यक्ष, श्री प्रीतम सिंह, प्रधान आयकर आयुक्त, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि एवं उपस्थित सदस्यों** का बैठक में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि समिति अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार जी के मार्गदर्शन में समिति की गतिविधियाँ निरंतर बढ़ रही है। समिति की बैवसाइट बनाई गई है। वार्षिक समारोह आयोजित किया गया है तथा कई प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई है। तत्पश्चात् सदस्यों के परिचय के बाद बैठक की कार्रवाई आरंभ हुई।

4. यह सूचित किया गया कि पिछली बैठक के कार्यवृत सभी सदस्य कार्यालयों को भेज दिए गए थे। किसी भी सदस्य कार्यालय से कोई सुझाव या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई अतः बैठक में सर्वसम्मति से इन्हें पारित कर दिया गया।

5. पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन एवं छमाही रिपोर्टों की समीक्षा की गई। चर्चा के बाद निम्नलिखित सूचनाएँ दी गई एवं निर्णय लिए गए:

5.1 यह सूचित किया गया कि पिछली बैठक के बाद निम्नलिखित कार्यालयों में हिन्दी पत्राचार की बृद्धि हुई है :

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	पिछली बैठक के समय कार्य	इस समय हिन्दी में कार्य
1.	नियंत्रक संचार लेखा, दूरसंचार विभाग, ब्लॉक नं. 18ए, एस. डी.ए. कॉम्पलैक्स शिमला–171009	13.70%	60.44%
2.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, राष्ट्रपति निवास, शिमला–171005	22.36%	43.28%
3.	एकीकृत वित्तीय सलाहकार, सेना प्रशिक्षण कमान, शिमला	04.95%	27.81%

5.2 भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में नियम 8(4) के अधीन आदेश जारी कर दिए गए हैं।

5.3 यह सूचित किया गया कि पिछली बैठक के निर्णय अनुसार समिति स्तर पर हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इनका विवरण संलग्न है।

☞ यह सूचित किया गया कि **कविता पाठ प्रतियोगिता** के कुछ प्रतिभागियों ने कहा है कि प्रतियोगिता में प्रतिभागी अधिक थे और समय कम था। चर्चा के बाद **यह निर्णय लिया गया** कि अगले वर्ष प्रतियोगिता दो चरणों में आयोजित की जाए। प्रथम चरण के प्रथम 10 प्रतियोगी ही दूसरे चरण में भाग लें और दूसरे चरण का आयोजन दूरदर्शन केन्द्र में किया जाए।

☞ यह भी सूचित किया गया कि **प्रश्न मंच प्रतियोगिता** के कुछ प्रतियोगियों का कहना था कि प्रश्न बहुत कठिन थे। चर्चा के बाद **यह निर्णय लिया गया** अगले वर्ष इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रश्न ज्यादा कठिन न हों।

☞ यह निर्णय लिया गया कि जनवरी, 2017 में नैशनल ऑडिट एव लेखा अकादमी में **संयुक्त हिन्दी कार्यशाला** का आयोजन किया जाए। सभी सदस्य कार्यालय इनमें भाग लेने के लिए कर्मचारी नामित करें।

5.4 **वार्षिक अंशदानः** यह सूचित किया गया कि केवल 15 कार्यालयों ने ही समिति को अंशदान भेजा है। सदस्यों से पुनः अनुरोध किया गया कि वे समिति को वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के अंशदान की राशि शीघ्र भेजें। अंशदान की राशि चैक द्वारा अथवा सचिव नराकास के बैक खाता संख्या 10835936138 IFC Code SBIN0000718 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रॉस्फर कर सकते हैं। **यह निर्णय लिया गया** कि जिन कार्यालय ने अंशदान नहीं दिया है उनकी सूची समिति की बैवसाईट पर अपलोड कर दी जाए और सभी कार्यालयों को अंशदान के लिए अलग से पत्र भी लिखा जाए।

5.5 **यह सूचित किया गया कि समिति की बैवसाइट** का उद्घाटन पिछली बैठक में किया गया था। सभी सूचनाएँ इस पर अपलोड की जा रही है। सदस्य कार्यालय अपने प्रयास और फोटो भी इसमें अपलोड करवा सकते हैं। इसके लिए आयकर विभाग के श्री राजेन्द्र चौहान, वरि. निजि सचिव से संपर्क किया जा सकता है।

6. **संयुक्त पत्रिका का प्रकाशन** : समिति की पत्रिका **"यात्रा"** के वर्ष 2016–17 अंक का प्रकाशन किया जाना है। इसके लिए सभी सदस्य अपने कार्यालयों से रचनाएं भेजें। हिन्दी दिवस समारोहों की फोटो एवं समाचार भी भेजे जाएं। सदस्य कार्यालय पत्रिका के प्रकाशन में भी अपना सहयोग अवश्य करें। विज्ञापन के लिए निम्नलिखित दरें निर्धारित की गई है;

1. आवरण का अंतिम रंगीन पृष्ठ = रुपए 12000/–
2. अंदर का रंगीन पृष्ठ = रुपए 10000/–
3. दो रंगों का पृष्ठ = रुपए 8000/–
4. दो रंगों का आधा पृष्ठ = 5000/–

सदस्य सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वे संपादक मंडल का गठन करें।

7. **कार्यालयध्यक्षों को पुरस्कार** : वर्ष 2015–16 में किए गए कार्य के आधार पर कार्यालयध्यक्षों को दिए जाने वाले पुरस्कारों का निर्धारण किया जाना है। यह निर्णय लिया गया कि समिति अध्यक्ष ही निर्णायक मंडल का गठन करें।

8. **वार्षिक राजभाषा का आयोजन** : यह निर्णय लिया गया कि समिति का **वार्षिक समारोह अप्रैल, 2017 में आयोजित किया जाए**। समारोह के आयोजन के लिए समिति उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया जाए।

9. **कार्यालयध्यक्षों का बैठकों में भाग लेना** : यह सूचित किया कि संसदीय समिति ने उन कार्यालयों की सूचना मांगी है जिनके कार्यालयध्यक्ष बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त रा.भा. विभाग को भी हस्ताक्षरित सूची भेजी जानी होती है। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से पुनः कहा कि समिति की बैठकों में संबधित कार्यालयध्यक्ष ही स्वंय उपस्थित हों क्योंकि कार्यालयध्यक्षों के न आने से बैठकों में प्रभावी और सार्थक निर्णय लेना संभव नहीं हो पाता है।

10. **छमाही रिपोर्टों की समीक्षा** : बैठक में सदस्यों छमाही रिपोर्टों की समीक्षा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

1. **हिन्दी में पत्राचार** यह सूचित किया कि लक्ष्यों के अनुसार सारा पत्राचार हिन्दी में होना चाहिए। निम्नलिखित कार्यालयों में 95% या इससे अधिक पत्राचार हिन्दी में हो रहा है जोकि सराहनीय है :

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	प्रतिशत
1.	स्टेशन अधीक्षक कार्यालय, शिमला रेलवे स्टेशन–4	100%
2.	केन्द्रीय विद्यालय जतोग छावनी, शिमला, हिमाचल प्रदेश	100%
3.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, शिमला–171005	100%
4.	गीत और नाटक प्रभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शिमला केन्द्र	100%
5.	अधीक्षक अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, कैनेडी कॉटेज, शिमला–171004	99.84%
6.	उप कमाण्डेंट कार्यालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई, शिमला एयरपोर्ट, शिमला	99.53%
7.	युवा समन्वयक, नेहरू युवा केंद्र, भारत सरकार, डोगरा लॉज, शिमला–171004	98.99%
8.	परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, नीति आयोग, हिमलोक परिसर, शिमला	98.75%
9.	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश, शिमला–171003	98.33%
10.	भारतीय वन सर्वेक्षण, उत्तरी अंचल, सी जी ओ परिसर, लौंगवुड	98.15%
11.	श्रम ब्यूरो, क्लेरेमोंट, शिमला–4	97.98%
12.	महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश, शिमला–171003	97.81%
13.	क्षेत्रीय निदेशालय, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, शिमला–171003	96.96%
14.	मौसम केंद्र, क्लीफ एंड इस्टेट, बिबरा हाउस, शिमला–171001	95.55%
15.	भाकृअनुप–भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र, फलावरडेल, शिमला–2	95.09%
16.	कार्यालय उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, शिमला	94.89%
17.	प्रधान आयकर आयुक्त, शिमला–171003	94.84%
18.	महानिदेशक, राष्ट्रीय लेखा व लेखा परीक्षा अकादमी, शिमला–171004	94.73%
19.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, हि. प्र.	94.68%
20.	निदेशालय जनगणना कार्य, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001	94.52%
21.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, चौहन निवास, खलीणी, शिमला–171002	93.71%

22.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय शिमला–3	92.29%
23.	कार्यालय रक्षा पेंशन संवितरण (पै.सवि.) शिमला–3	92.96%
24.	कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त, शिमला–171003	92.83%
25.	आकाशवाणी शिमला	91.79%
26.	स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी (सैन्य) शिमला–3	91.11%

लेकिन कुछ कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए ठोस उपाए करने की आवश्यकता है। अतः वे इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करें।

2. बैठक में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, प्रधान महालेखाकार (ऑडिट) इग्नू इत्यादि कार्यालयों के अध्यक्षों ने अपने–अपने प्रयासों की जानकारी सदस्यों को दी।

3. **हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर** : कुछ कार्यालयों में हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देने से नियम (5) का उल्लंघन दिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी कार्यालय यह सुनिश्चित करें कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में ही दिए जाएं। पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए।

4. **हिन्दी टाइप प्रशिक्षण** : निम्नलिखित कार्यालयों में हिन्दी टाइप प्रशिक्षण के लिए कर्मचारी शेष हैं:–

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	प्रशिक्षण शेष
1.	मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान शिमला–3	54 टं.
2.	दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र, सशस्त्र सीमा बल, कसुम्पटी, शिमला	19 टं.
3.	मुख्यालय दीपक परियोजना द्वारा 56 सेना डाकघर	11 टं.
4.	अधीक्षक अभियंता, सहायक उपायुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर मंडल, शिमला–171004	10 टं.
5.	सहायक उपायुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर मंडल, शिमला–171005	01 टं.
6.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय शिमला–3	01 टं.

सदस्यों से कहा गया कि वे अपने कर्मचारियों को पत्राचार के माध्यम से प्रशिक्षित कराएं। इससे संबंधित जानकारी रा.भा. विभाग की बैवसाइट पर उपलब्ध है।

5. **धारा 3(3) का अनुपालन** : यह सूचित किया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन आने वाले दस्तावेज जैसे सामान्य आदेश इत्यादि अनिवार्य तौर पर द्विभाषी ही जारी होने चाहिए। दो–तीन कार्यालयों ने धारा 3(3) का उल्लंघन दिखाया है। अतः सभी कार्यालयों में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कार्यालय में इसका उल्लंघन न हो। सदस्यों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि धारा 3(3) के अधीन उन्हीं दस्तावेजों के आँकड़े दिखाए जाएं जो इसमें शामिल हैं।

6. **हिन्दी में नोटिंग** : हिन्दी में नोटिंग के लिए निर्धारित लक्ष्य है। लेकिन कुछ कार्यालयों में 75% से कम नोटिंग हो रही है अतः हिन्दी में नोटिंग की मात्रा बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

निम्नलिखित कार्यालयों में शत–प्रतिशत नोटिंग हिन्दी में हो रही है जोकि प्रशंसनीय है:–

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	नोटिंग
1.	उपकमांडैंट केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई, शिमला एयरपोर्ट	100%
2.	केंद्रीय विद्यालय जतोग छावनी	100%
3.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय,क्षेत्र संकार्य प्रभाग	100%
4.	क्षेत्रीय निदेशालय, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	100%
5.	परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, नीति आयोग, हिमलोक परिसर,शिमला	100%
6.	अधीक्षक अभियंता, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग,कैनेडी कॉटेज	100%
7.	पत्र सूचना कार्यालय, लौंगवुड	100%
8.	केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला	100%

कुछ सदस्यों ने अपनी कठिनाईयों और प्रयासों से सदस्यों को अवगत करवाया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह सराहनीय है कि अधिकतर कार्यालयों में लक्ष्य से कहीं अधिक नोटिंग हिन्दी में हो रही है हिन्दी में नोटिंग लिखना आसान है क्योंकि जहाँ हिन्दी का शब्द ध्यान में न आए वहाँ पर अंग्रेजी के शब्द को देवनागरी में लिखा जा सकता है। धीरे–धीरे हिन्दी शब्द ध्यान में आते जाते हैं।

7. **आंतरिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग** : आंतरिक कार्यों जैसे विभिन्न रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ सेवा पंजियों में प्रविष्टियाँ, आंतरिक पत्र व्यवहार इत्यादि कार्य पूर्ण रूप से हिन्दी में किए जा सकते हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि निम्नलिखित कुछ कार्यालयों में शत–प्रतिशत आंतरिक कार्य हिन्दी में हो रहा है:

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	आंतरिक कार्य
1.	उपकमांडैंट केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई, शिमला	100%
2.	प्रधान आयकर आयुक्त	100%
3.	केंद्रीय विद्यालय जतोग छावनी	100%
4.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग	100%
5.	कार्यालय सहायक संपदा प्रबंधक, ग्रैंड होटल	100%
6.	क्षेत्रीय निदेशालय, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	100%
7.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, हि.प्र.	100%
8.	सहायक लेखा अधिकारी, स्टेशन मुख्यालय	100%
9.	परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, नीति आयोग	100%

10.	स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी (सैन्य)	100%
11.	मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय शिमला	100%
12.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, हिमाचल प्रदेश	100%
13.	अधीक्षक अभियंता, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग,कैनेडी कॉटेज	100%
14.	पत्र सूचना कार्यालय, लौंगवुड	100%
15.	केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला	100%

अन्य कार्यालयों में भी आंतरिक कार्य जैसे रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ, सेवापंजियों में प्रविष्टियाँ, आंतरिक पत्र व्यवहार इत्यादि कार्य हिन्दी में ही किए जाएं।

8. **हिन्दी पुस्तकों पर व्यय** : यह सूचित किया गया कि लक्ष्यों के अनुसार पुस्तकों की खरीद पर होने वाले कुल व्यय का 50% हिन्दी पुस्तकों पर खर्च होना चाहिए। इसमें ई–बुक भी शामिल हैं। अधिकांश कार्यालयों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है केवल निम्नलिखित कुछ कार्यालयों में हिन्दी की पुस्तकों की तुलना में अंग्रेजी की पुस्तकों पर बहुत अधिक व्यय दिखाया गया है। अतः भविष्य में इस लक्ष्य का पालन किया जाए। यह भी स्पष्ट किया गया कि अब जर्नल और मानक संदर्भ ग्रंथों पर होने वाले व्यय को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	हिन्दी पुस्तकों पर व्यय
1.	भारतीय वन सर्वेक्षण, उत्तरी अंचल, सी जी ओ परिसर, लौंगवुड	32%
2.	महानिदेशक,राष्ट्रीय लेखा तथा लेखापरीक्षा अकादमी	31%
3.	उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	22%
4.	होटल, प्रबंधन, खान–पान एवं पोषाहार संस्थान, कुफरी शिमला	15%
5.	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	07%
6.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, राष्ट्रपति निवास	04%
7.	केन्द्रीय तिब्बत विद्यालय शिमला	03%

9. **राजभाषा समिति की बैठकों का आयोजन** : यह सूचित किया गया कि राजभाषा समिति की बैठकों का आयोजन प्रत्येक तिमाही होना चाहिए लेकिन कुछ कार्यालयों में बैठकों का आयोजन ही नहीं किया है और कुछ में केवल एक ही बैठक आयोजित की गई है। अतः इनके कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि बैठकों का नियमित आयोजन हो।

10. **नामपट्ट एवं मोहरें** : यह सूचित किया कि नेहरू युवा केंद्र, सहायक आसूचना ब्यूरो तथा दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि में कुछ मोहरें द्विभाषी नहीं हैं। वे शीघ्र इन्हें द्विभाषी बनाएं।

11. **हिन्दी में कार्य के लिए प्रोत्साहन योजना** : यह सूचित किया गया कि हिन्दी में मूल करने के लिए प्रोत्साहन योजना अभी तक कई कार्यालयों में या तो लागू नहीं की गई है अथवा उसमें किसी ने भाग नहीं लिया है। यह भी सूचित किया गया कि अब राजभाषा विभाग ने पुरस्कारों की राशि बढ़ा दी है। अब इस वर्ष प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः 5000/–, 3000/– एवं 2000/– रुपए के होंगे।

12. **हिन्दी कार्यशाला** : प्रत्येक कार्यालय में प्रत्येक तिमाही हिन्दी कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए। यदि छोटा कार्यालय अपने स्तर पर कार्यशाला आयोजित नहीं कर पाता है तो वे राष्ट्रीय लेखा अकादमी में जनवरी, 2017 में आयोजित की जाने वाली कार्यशाला के लिए कर्मचारी अवश्य नामित करें।

13. **कार्यालयों को अधिसूचित कराना** : राजभाषा नियमावली के नियम 10(4) के अधीन उन कार्यालयों को राजपत्र में अधिसूचित कराया जाना होता है जिनके 80 कर्मचारियों की हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। लेकिन दीपक परियोजना, दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र, चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इत्यादि कुछ कार्यालय अभी तक राजपत्र में अधिसूचित नहीं है। अतः इन्हें अधिसूचित कराने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाए।

14. **नियम 8(4) के अधीन आदेश** : यह सूचित किया गया कि लगभग सभी कार्यालयों ने नियम 8(4) के अधीन अपने कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए आदेश जारी किए हैं।

15. **अन्य समस्याएँ, सुझाव एवं सूचनाएं** :

15.1 **मूल कार्य योजना की पुरस्कार राशि में वृद्धि** : यह सूचित किया गया कि राजभाषा विभाग के दिनांक 14.09.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12013/01/2011–रा.भा.(नीति) द्वारा सरकारी कामकाज में टिप्पण/आलेखन **मूल रूप में हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई है।**

15.2 **हिंदी में श्रुतलेखन के लिए पुरस्कार राशि में वृद्धि** : यह सूचित किया गया कि राजभाषा विभाग के दिनांक 14.09.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12013/01/2011–रा. भा.(नीति) द्वारा अधिकारियों द्वारा **हिंदी में श्रुतलेख देने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृ[की गई है।**

15.3 **राजभाषा अधिकारियों के पदनाम व वेतनमान** : यह सूचित किया गया कि राजभाषा विभाग के दिनांक 19.10.2016 के अ.शा.प. संख्या 15/42/2013–रा.भा.(सेवा) द्वारा भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिकारियों **के पदनाम व वेतनमान केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के समान रखने को कहा गया है।**

15.4 **सभी प्रकार के प्रशिक्षण हिंदी में** : यह सूचित किया गया कि राजभाषा विभाग के दिनांक 18.07.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12019/03/2016–रा.भा.(का.–2) द्वारा **कार्मिको को सेवाकालीन प्रशिक्षण हिंदी में देने को कहा गया है।**

15.5 **समाचार पत्रों में विज्ञापन** : यह सूचित किया गया कि राजभाषा विभाग के दिनांक 18. 05.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12019/03/2016–रा.भा.(शिका.)/विविध–2 द्वारा **समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाने संबंधी दिशा–निर्देश दिए गए हैं।**

15.6 **हिंदी टाइप प्रशिक्षण** : यह सूचित किया गया कि राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के दिनांक 27.10.2016 के पत्रा संख्या 19016/1/2016–हिटपपा /केहिप्रसं/3090 द्वारा **पत्राचार के माध्यम से हिंदी टाइप प्रशिक्षण के लिए नामांकन भेजने को कहा है।**

अपने संबोधन में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री प्रमोद शर्मा ने कहा कि;

- ❖ बैठकों में प्रशासनिक प्रधान अवश्य आएं।
- ❖ प्रशासन से संबंधित हिन्दी की संदर्भ पुस्किाओं का प्रयोग करें। ये पुस्तकें दिल्ली में जैन बुक स्टोर पर उपलब्ध है।
- ❖ लगभग सभी कार्यालयों ने बैठक के लिए रिपोर्टें भेजी है। यह सराहनीय है।
- ❖ ई–मेल अधिक से अधिक हिन्दी में भेजें जाएं और इन्हें हिन्दी पत्राचार में शमिल किया जाए।
- ❖ अपनी रिपोर्ट राजभाषा विभाग को ऑनलाइन भेजें। क्योंकि पुरस्कारों का निर्धारण इसी आधार पर होता है। सभी वैबसाइट अनिवार्य तौर पर द्विभाषी ही बनाई जाएं। वैब पोर्टल में सुझाव हिन्दी में देने का विकल्प होना चाहिए।
- ❖ सभी साफ्टवेयर एवं ऐपलीकेशन में हिन्दी में कार्य करने का विकल्प होना चाहिए।
- ❖ अनुसंधान संस्थान अपने शोध पत्र हिन्दी में भी प्रकाशित करें।
- ❖ कार्यालयों का कार्य मूल रूप से हिन्दी में ही किया जाए।
- ❖ सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टयाँ एवं आदेश हिन्दी में जारी करें।
- ❖ अपना कार्य हिन्दी में करें और राष्ट्रीय गौरव महसूस करें।
- ❖ राजभाषा पत्रिका के लिए अपने कार्य से संबधित लेख अवश्य भेजें।
- ❖ अन्य कर्मिकों की तरह हिन्दी कार्मिकों को भी प्रोमोशन के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं।

अध्यक्ष महोदय ने अपने समापन संबोधन में कहा कि उन्हें बहुत प्रसन्नता है कि वे इस बैठक में शामिल हो सके हैं। यहाँ माहौल शांत है और हिन्दी में कार्य करना भी आसान है। यह हिन्दी क्षेत्र है अतः यहाँ हिन्दी में कार्य करना निसंदेह स्वाभाविक भी है। कई बार कार्यालयों में हिन्दी में काम करना कठिन लगता है लेकिन यह वास्तव में बहुत सरल है। हम अंग्रेजी के शब्द को भी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं। धीरे–धीरे अंग्रेजी के शब्द कम होते जाएंगे और हिन्दी के शब्द बढ़ते जाएंगे। हम सभी यह कोशिश करें कि अपने पत्र हिन्दी में ही लिखें। हम एक सिस्टम में काम करते हैं। संसदीय राजभाषा समिति भी निरीक्षण करती है। अतः नियमों का उल्लघन न हो। नियम 8(4) के अधीन आदेश जारी किए जाएं और धारा 3(3) के आंकड़े ठीक भरे जाएं। मोहरें इत्यादि द्विभाषी ही हों। इस संबंध में केवल सर्तक रहने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि जो काम हिन्दी में आरंभ हो गया है वह दोबारा अंग्रेजी में शुरू न हो। आपके कार्यालय में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में जो भी पत्र आए उसकी पावती हिन्दी में अवश्य दें। इससे संबंधित व्यक्ति को पता चलता है कि उसका पत्र कार्यालय में प्राप्त हो गया है और उस पर कार्रवाई की जा रही । दूसरी ओर इससे हिन्दी का पत्राचार भी बढ़ जाएगा। अप्रैल, 2017 में हमारा वार्षिक समारोह आयोजित किया जाएगा। आप इसके आयोजन में हर प्रकार से सहयोग करें। पत्रिका के लिए सामग्री भेजें। हमारी पत्रिका बड़ी होनी चाहिए और संग्रहणीय होनी चाहिए। राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए हमारे कार्यालय से आपको हर प्रकार का अपेक्षित सहयोग मिलेगा। इस वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस पर हमें राष्ट्रपति जी से पुरस्कार मिला

है। गृह मंत्री जी भी वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हिन्दी सबसे पुरानी भाषा नहीं है लेकिन इसके विस्तार और महत्व को देखते हुए हिन्दी को सभी प्रांतों ने स्वीकार किया, इसलिए हिन्दी राजभाषा बनी। अंग्रेजी तो कुछ जगह ही चलती है परन्तु हिन्दी से किसी को भी कठिनाई नहीं है। क्योंकि हिन्दी सबको जोड़ने वाली भाषा है। एक राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना भी जरूरी है। भाषा के साथ भावना जुड़ी होती है। हिन्दी हमारी अपनी भाषा है, मातृभाषा है अतः इससे हमारी भावना भी जुड़ी हुई है। हिन्दी का प्रयोग करने को हम केवल सरकारी काम न समझें। बल्कि अपना दायित्व समझें और जो भी काम हिन्दी में हो सकता है उसे जरूर हिन्दी में ही करें। इसके लिए हमारा व्यवहार हमेशा साकारात्मक होना चाहिए।

अंत में अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों के धन्यवाद के साथ बैठक संपन्न हुई।

अनुमोदित

(राजेन्द्र कुमार)
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त एवं
अध्यक्ष नराकास, शिमला

(डॉ॰ सुरेन्द्र शर्मा)
सहायक निदेशक एवं
सचिव न.रा.भा.का. समिति
मोबाईल नं. : +919530702020